राजस्थान सरकार

चिकित्सा शिक्षा विभाग (ग्रुप-1)

<u>कार्यालय सदस्य सचिव शुल्क रेगुलटरी कमेटी , राजस्थान , जयपुर</u>

क्र. प. 1 (1) एम.ई. / ग्रुप-1/2003 **दिनांक:** 25 FEB 2014

<u>आदेश</u>

1. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इस्लामिक एकेडेमी आफ एजुकेशन बनाम कर्नाटक राज्य में दिये गये निर्णय दिनांक: 14.8.2003 के अनुसरण में गठित राज्य स्तरीय शुल्क निर्धारण समिति द्वारा विभिन्न पहलुओं के परीक्षण तथा विचार विमर्श उपरांत निम्न पाठ्यक्रमों में अध्ययन हेतु शुल्क संरचना निम्नानुसार अंतिम रूप से निर्धारित की जाती है :-

क्र.स.	पाठ्यक्रम का नाम	शुल्क (रुपयों में)/प्रति वर्ष /प्रति छात्र
1	बी.डी.एस.	2,30,000 (दो लाख तीस हजार)
2	एम.डी.एस.. (क्लीनिकल)	5,50,000 (पांच लाख पचास हजार)
3	एम.डी.एस.. (नान- क्लीनिकल)	4,50,000 (चार लाख पचास हजार)

2. उपर्युक्त शुल्क के अलावा छात्रावास तथा परिवहन शुल्क पृथक से छात्रों से लिये जा सकेंगे।
3. मैस हेतु मासिक रूप से वास्तविक व्यय के आधार पर निर्धारित की गयी राशि छात्रों से अंशदान के आधार पर ली जायेगी। छात्रावास के बिजली आपूर्ती के बिलों की राशि हॉस्टल में रहने वाले छात्रों के मध्य समान रूप से सम्विभाजित की जावेगी।
4. कॉलेज में प्रवेश के समय एक ही बार कॉशन मनी ली जायेगी जो कोर्स पूरा करने पर वापस की जाएगी।
5. उक्त छात्रों से सम्बन्धित विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित पंजीकरण शुल्क तथा परीक्षा शुल्क वसूल किया जा सकेगा।
6. कालेज उपरोक्त शुल्क के अलावा किसी भी तरह का शुल्क अथवा डोनेशन, विकास शुल्क, लैबोरेटरी शुल्क, अस्पताल शुल्क, लाइब्रेरी शुल्क या अन्य किसी भी स्वरूप में कोई राशि औपचारिक अथवा अनौपचारिक रूप से छात्रों से वसूल नहीं करेंगे। कालेज यदि उपरोक्त बिन्दुओं में वर्णित शुल्क के अतिरिक्त कोई शुल्क अथवा राशि वसूल करते हैं तो वह कैपिटेशन शुल्क की परिभाषा में माना जायेगा एवम तदानुसार दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी।
7. उक्त शुल्क शैक्षणिक सत्र 2014-15 से नवीन प्रवेश लेने वाले छात्रों पर लागू होगा।

25/02/14

(डा. सुबोध अग्रवाल)
सदस्य सचिव,शुल्क रेगुलेटरी कमेटी

क्र. प. 1 (1)/ एम.ई. ग्रुप-1/2003 **दिनांक:**

प्रतिलिपी सूचनार्थ:

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव महामहिम राज्य पाल महोद्य
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्य मंत्री महोदय
3. निजी सचिव माननीय मंत्री चिकित्सा एवम स्वास्थ्य
4. जस्टिस एस.एन.भार्गव, अध्यक्ष 20/46 रेणु पथ, अम्बेडकर नगर,मानसरोवर,जयपुर
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा शिक्षा, राजस्थान सरकार.
6. सदस्यगण शुल्क रेगुलेटरी कमेटी
7. व.निजी सहायक विशिष्ट शासन सचिव चिकित्सा शिक्षा
8. रजिस्ट्रार, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्व विद्यालय , जयपुर
9. अतिरिक्त निदेशक चिकित्सा शिक्षा
10. प्रधानाचार्य एवम नियंत्रक मेडिकल कालेज जयपुर/अजमेर/जोधपुर/बीकानेर/उदयपुर/कोटा
11. सयोजक प्रवेश मंडल (दंत)
12. -------------------------------- दंत कालेज
13. रक्षित पत्रावली

(कैलाश चन्द्र राव)
शासन उप सचिव (चि.शि.)